

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-651/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(192)-2021

लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं0क0नि0-2-983/ग्यारह-9(47)17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(42)-2019 दिनांक 02 जुलाई, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय पैरा में, द्वितीय परंतुक में, अंक, अक्षर, और शब्द "31 मई 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 जुलाई 2021" रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 मई, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव